

सं०सं०-1/म०का०-01/2018-105(1) क्र०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
मधेपुरा।

पटना, दिनांक- 6 / 3 / 2019

विषय:- जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तक, एन०एच०-106 के समानान्तर 50 फीट चौड़ा अतिरिक्त सड़क के निर्माण हेतु रैयती भूमि को बिहार रैयती लीज नीति-2014 के तहत प्राप्त करने के लिए समाहर्ता, मधेपुरा से प्राप्त माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-292(1) दिनांक-06.3.2019 के आलोक में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तक, एन०एच०-106 के समानान्तर 50 फीट चौड़ा अतिरिक्त सड़क के निर्माण हेतु रैयती भूमि को बिहार रैयती लीज नीति-2014 के तहत प्राप्त करने के लिए समाहर्ता, मधेपुरा से प्राप्त माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2- यह कार्य विभागीय पत्रांक-1020(1), दिनांक-12.09.2018 के आलोक में प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा द्वारा बिहार रैयती लीज नीति-2014 के प्रावधान के तहत निमयानुकूल कराया जायेगा।

3- उल्लेख्य है कि विभागीय पत्रांक-1021(1), दिनांक-12.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में उक्त कार्य हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा आवश्यक राशि रु० 8,65,92,707/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जा चुका है। स्कीम (योजना) की इस राशि से निगम द्वारा प्राचार्य को प्राप्त राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

Q

6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-050-भूमि, उप-शीर्ष-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 के अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103.53.02 भू-अर्जन ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जायेगा।


7- प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा बी0टी0सी0 फॉर्म-26 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी करते हुए, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

8- प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/म0का0-01/2018- 105(1)ब्रो /स्वा0, पटना, दिनांक- 6 / 3 / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिलाधिकारी, मधेपुरा/जिला कोषागार, मधेपुरा/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

सं०सं०-1/म०का०-01/2018- 292(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 6 / 3 / 2019

विषय:- जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तक, एन०एच०-106 के समानान्तर 50 फीट चौड़ा अतिरिक्त सड़क के निर्माण हेतु रैयती भूमि को बिहार रैयती लीज नीति-2014 के तहत प्राप्त करने के लिए समाहर्ता, मधेपुरा से प्राप्त माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707 /- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक समाहर्ता, मधेपुरा के पत्रांक-44-1/रा०, दिनांक-22.12.2017 के आलोक में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तक, एन०एच०-106 के समानान्तर 50 फीट चौड़ा अतिरिक्त सड़क के निर्माण हेतु रैयती भूमि को बिहार रैयती लीज नीति-2014 के तहत प्राप्त करने के लिए समाहर्ता, मधेपुरा से प्राप्त माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,65,92,707 /- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2- यह कार्य विभागीय पत्रांक-1020(1), दिनांक-12.09.2018 के आलोक में प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा द्वारा बिहार रैयती लीज नीति-2014 के प्रावधान के तहत निमयानुकूल कराया जायेगा।

3- उल्लेख्य है कि विभागीय पत्रांक-1021(1), दिनांक-12.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में उक्त कार्य हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा आवश्यक राशि रु० 8,65,92,707 /- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार सात सौ सात) मात्र प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जा चुका है। स्कीम (योजना) की इस राशि से निगम द्वारा प्राचार्य को प्राप्त राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(७)

6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-050-भूमि, उप-शीर्ष-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 के अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103.53.02 भू-अर्जन ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7- प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा बी0टी0सी0 फॉर्म-26 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी करते हुए, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

8- प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-04.01.2019 के योजना (स्कीम) क्रमांक-2 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।


10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/म0का0-01/2018 के पृष्ठ-22/टि0 पर प्राप्त है।

11- प्रस्ताव एवं राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार की सहमति सं0सं0-1/म0का0-01/2018 के पृष्ठ-24/टि0 पर प्राप्त है।

12- राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/म0का0-01/2018- 292(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 6 / 3 / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिलाधिकारी, मधेपुरा/जिला कोषागार, मधेपुरा/प्राचार्य/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव